उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–109/2025

अरूण मुण्डा बनाम् सुखदेव साव वगै० एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
10/12/25	आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक अरूण मुण्डा, पिता–सावना मुण्डा निवास ग्राम–बोंगाबार, पो०–भरेचनगर साण्डी, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ द्वारा U/S-215 of C.N.T Act-1908 के तहत् भू–वापसी वाद संख्या–03/2021–22 में दिनांक–04.07.2024 के तहत् अपील दायर किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा विषयगत वाद में अपील आवेदन लगभग 1 वर्षो के बाद दायर किया गया है। जबकि C.N.T Act-1908 की धारा–216 के प्रावधानानुसार अपील आवेदन 90 दिनों के अन्दर दायर किया जाना है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर नहीं किए जाने के संबंध में पर्याप्त व वैध कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील आवेदन को प्रविष्टि के विन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। संचित करें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, रामगढ़। उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by Faiz Aq Ahmed Mumtaz
Date: 2026.01.07 16:20:56 +05:30
Location: 192.168.0.24

Scanned with OKEN Scanner